

न्यायालय-अपर जिला न्यायाधीश कोर्ट नं०-1, लखीमपुर-खीरी।

प्रारम्भिक दीवानी वाद सं०-22/1982

कम्प्यूटर पंजीकरण सं०-04/2026

सी०एन०आर०सं०-UPLP 0100 3185 2026



मृतक सुखचरन सिंह आदि

बनाम

अनिल शुगर इण्डस्ट्रीज आदि

सुलहनामा का०सं०-159 क 1

20.07.2026

- 1- वाद पुकारा गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित। उभयपक्ष की ओर से सुलहनामा का०सं०-159 क 1 प्रस्तुत हुआ।
- 2- सुलहनामा का०सं०-159 क 1 न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को पढकर सुनाया व समझाया गया। उभयपक्ष ने बिना किसी जोर दबाव के स्वतंत्र मस्तिष्क से सुलहनामा में उल्लिखित शर्तों से पाबन्द होना स्वीकार किया।
- 3- न्यायालय द्वारा सुलहनामा का०सं०-159 क 1 सत्यापित एवं प्रमाणित किया गया। सुलहनामा का०सं०-159 क 1 में उल्लिखित शर्तें किसी विधि से वर्जित नहीं हैं। अतः सुलहनामा का०सं०-159 क 1 स्वीकार किये जाने योग्य है एवं मूल वाद सुलहनामा की शर्तों के अधीन आज़ाप्त किये जाने योग्य है।

#### आदेश

प्रारम्भिक दीवानी वाद सं०-22/1982, मृतक सुखचरन सिंह आदि बनाम मेसर्स अनिल शुगर इण्डस्ट्रीज जगदेवपुर आदि, सुलहनामा का०सं०-159 क 1 में उल्लिखित शर्तों के अधीन आज़ाप्त किया जाता है। तदानुसार डिक्री तैयार की जाये। सुलहनामा का०सं०-159 क 1 डिक्री का भाग होगा।

डिक्री की एक प्रति उभयपक्ष के खर्चे पर उपनिबन्धक कार्यालय, लखीमपुर खीरी को प्रेषित की जाये। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जावे।

(अशोक कुमार दुबे-प्रथम)

दिनांक-20.07.2026

अपर जिला न्यायाधीश, कोर्ट नं०-1

लखीमपुर खीरी।

(जे०ओ०कोड-UP6081)